एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

किसानो के आर्थिक सशक्तीकरण में, किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) एक बेहतर विकल्प

(*शैलू यादव, डॉ. अभिषेक शर्मा एवं आशीष यादव)

मृदा विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश

*संवादी लेखक का ईमेल पता: shailuyadav0512@gmail.com

किसान उत्पादक संगठन एक प्रकार का किसान–सदस्यो द्वारा नियंत्रित स्वैच्छिक संगठन या किसानो का एक समूह है, किसान अपने संगठन का कोई नाम रखकर उसे कम्पनी एक्ट 2013 के माध्यम से पंजीकृत कराते है। जिससे किसानो को वे सभी फायदे मिलते है, जो एक कम्पनी को मिलते है। किसान उत्पादक संगठन के सदस्य इसकी नीतियो के निर्माण एवं निर्णय में सक्रिय रूप से भाग लेते है। मुख्यतः एफ.पी.ओ. लघु एवं सीमान्त किसानो का एक समूह है, इससे जुडे किसानो को न सिर्फ अपनी उपज के लिए बाजार मिलता है, बल्कि खेत में लगने वाले खाद बीज, दवाईयो एवं कृषि यंत्रो की खरीद भी सस्ती पडती है। बाजार की सेवाएँ सीधे मिलने से किसानो को बिचौलियो के मकडजाल से मुक्ति मिलती है।

भारत सरकार द्वारा किसानो को सशक्त एवं स्वावलंम्बी बनाने हेंतु कई प्रयास किये जा रहे है, सरकार का लक्ष्य है, कि अधिक उत्पादन के साथ –साथ किसानो को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकें। आज हमारे देश में कृषको को कृषि उत्पादन से ज्यादा उसके विपणन के लिए बाजार में कठिनाईयो का सामना करना पडता है, देश में कुल किसानो में से 86 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसान है इस स्थिति को देखते हुए बडे स्तर पर संरचनात्मक सुधार और परिवर्तन जैसी पहल को लेकर सरकार ने 2019–20 से लेकर 2023–24 तक 10,000 एफ.पी.ओ. बनाने की घोषणा की है। ऐसे किसान उत्पादक संगठन जो किसानो के हितो में 03 वर्ष तक लगातार कार्य करते है, उन उत्पादक संगठनो को सरकार 15 लाख रू की आर्थिक सहायता एफ.पी.ओ. योजना के तहत उपलब्ध कराती है, जो कि किसानो को उनकी खेती के खर्चो से निपटने के लिए दी जाती है जैसे खेती की तैयारी, बीजो की खरीदी, सिचाई व्यवस्था और कृषि उपकरणो से खाद, उर्वरक, कीटनाशक तक के सभी ख़र्चे शामिल है।

संगठन की आवश्यकता क्यो

सदस्यों के स्वामित्व वाले उत्पादक संगठनों या एफपीओ में किसानों को संगठित करने का प्राथमिक उद्देश्य देश में किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों के उत्पादन, उनकी उत्पादक क्षमता एवं लाभ में वृद्धि करना है। छोटे किसानो को सरकारी सहायता आदि इस तरह से नही मिल पाती है जैसे की बडे किसानो को, इस उद्देश्य से कि किसानो की हर संभव मदद प्रदान की जा सके एवं , भारतीय कृषि विपणन में जो दलालो की एक लम्बी चैन है , जो बिल्कुल भी पारदर्शी तरीके से काम नही करती है जिसकी वजह से किसानो को उनके उत्पादो का बहुत कम दाम मिल पाता है, उससे छुटकारा दिलाया जा सके। इसके साथ ही उपभोक्ता जितना पैसा उस उत्पाद के लिए देता है उसका अधिकतम हिस्सा किसानो तक पहुच पाये एवं संगठन की ताकत से किसान अपने उपज को ज्यादा मूल्य पर बेच पाने मे समक्ष हो सके। बाजार की मुख्य धारा में किसान को लाना, बाजार आधारित कृषि पर जोर एवं उत्पादन की लागत को कम कर, उत्पादन बढाना छोटे एवं लघु किसान उद्यमियो को शासकीय योजनाओ से जोडना।

किसान उत्पादक संगठन का संचालन

किसान उत्पादक संगठन का संचालन त्रिस्तरीय मॉडल पर अधारित है, केन्द्र सरकार के किसान कल्याण एवं कृषि मंत्रालय द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी) को नोडल एंजेसी के रूप में एफ.पी.ओ. की विभिन्न परियोजनाओ को बढावा देने के लिए चुना गया है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारे एवं अन्य एजेंसियॉ इसके अन्तर्गत कई कार्यक्रम चला रही है। एफ.पी.ओ. के गठन और इसकी संख्या को बढाने के लिए अभी एस.एफ.ए.सी. और नाबार्ड मिल कर कार्य कर रही थी, परन्तु अब सरकार इसे और बढाना चाहती है जिसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) को भी जिम्मेदारी सौपी गई है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी) के अन्तर्गत किसान उत्पादक संगठन परियोजना का निष्पादन और निरीक्षण एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एन.पी.एम.ए.) द्वारा किया जाता है।

आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड किसान उत्पादक संगठनो की निगरानी करता है, जिसमें यह देखा जाता है कि किसान उत्पादक संगठन के जरिये कितने किसानो को क्या फायदा पहुच रहा है, बाजार में किसानो की पहुच को किस प्रकार आसान बनाया जा रहा है, कागजी कार्यो को किस प्रकार निपटाया जाता है, किसानो को सस्ती दरो पर समान उपलब्ध हो रहा है या नही इन सभी बातो पर अमल करके किसान उत्पादक संगठनो को रेटिंग प्रदान की जाती है, जिसके बाद किसान उत्पादक संगठनो के पास सरकार द्वारा जारी आर्थिक अनुदान पहुचना शुरू होता है।

किसान उत्पादक संगठन संम्बधी महत्वपूर्ण नियम

उत्पादक कंपनी का गठन करने के लिए अपेक्षित उत्पादकों की न्यूनतम संख्या 10 है, जिसमे 05 बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर एवं 05 मेम्बर। जबकि सदस्यों की अधिकतम संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है तथा संभाव्यता एवं आवश्यकता के अनुसार यह संख्या बढाई जा सकती है। सभी प्रोड्यूसर होना चाहिए, यह सी.बी.बी.ओ. के तहत बनाया जाना चाहिए, राज्य एवं जिला स्तर पर इसे लागू करने के लिए एंजेसी होनी चाहिए। इसे एक जिला एक उत्पाद के तहत बढावा दिया जाना चाहिए इसी के साथ विपणन, ब्रॉडिग, प्रोसेसिंग और निर्यात पर भी जोर देना चाहिए।

एफ.पी.ओ. बनाने से लाभ

- एफ.पी.ओ. किसानो को सामूहिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर सकते, जिससे जोत के छोटे आकार से उत्पन्न उत्पादन से उत्पादकता संबंधी समस्याओ से किसानो को निजात मिल सकेगा।
- एफ.पी.ओ. किसानो को मोलभाव के दौरान बडे उद्यमियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकता है क्यो कि यह सदस्यो को एक समूह के रूप में बातचीत एवं समझौता करने में सक्षम बनाता है।
- एफ.पी.ओ., सदस्य किसानो को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण इनपुट उपलब्ध करा सकता है उदाहरण, फसलो के लिए ऋण, मशीनरी की खरीद, कृषि–इनपुट (उर्वरक कीटनाशक आदि).
- इससे जुडे किसानो को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा, साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाई, और कृषि उपकरण जैसा जरूरी सामान खरीदना बेहद आसान होगा।
- संगठन से किसानो को सौदेबाजी की शक्ति मिलती है।
- समूह मे बहुलता से व्यापार करने पर, भण्डारण, परिवहन और प्रोसेसिंग के खर्चो में बचत होती है। समूह के किसान कस्टम केन्द्र आदि शुरू कर अपने व्यापार का विस्तार कर सकते है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- खतौनी (भूमि रिकॉर्ड)
- पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
- बैक खाता विवरण
- मोबाइल नम्बर

आवेदन प्रकिया एवं कियान्वयन

देश के जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते है उन्हे इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करना होगा।

- आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की **आधिकारिक बेवसाइट https://www.enam.gov.in/** पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने हाम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको एफ.पी.ओ. विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको रजिस्ट्रेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके समक्ष रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में चाही गई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी

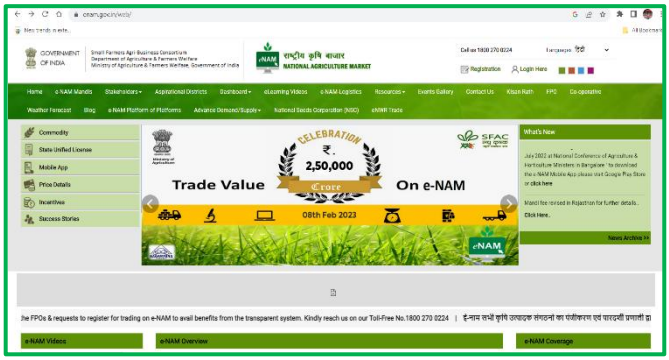

- इसके पश्चात आपको को पासबुक या फिर कैंसिल चेंक एवं आईडी प्रूफ को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।